न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 161 /2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा		1. बींजाराम,सालगराम, वगैरा खाता संख्या 78 2. धारूराम चौथाराम वगैरा खाता संख्या 64 जाति मेगवाल निवासी कंवरली 3. विशनाराम वल्द मोतीराम वगैरा खाता संख्या 123 कौम गवारिया निवासी कंवरली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश दिनांक 26.11.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम कंवरली में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राप्राविधैमाराम मेगवाल से जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम कंवरली के खसरा नम्बर 237/127 रकबा 169–04 बीघा में से 0–13 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 81–09 बीघा में से 0–07 बीघा, खसरा नम्बर 257/129 रकबा 60 बीघा में से 0–04 बीघा, खसरा नम्बर 256/129 रकबा 1–00 बीघा में से 0–04 बीघा, भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल :::: में किया गया है, उक्त कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प कंवरली में विप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की और कुछ संबंधित खातेदार उपस्थित हुऐ रास्ता कटान किये जाने की सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये गये। सहतति पत्र पेश किया गया। खाता संख्या 123 की और से वकील श्री राजेन्द्र गहलोत ने वकालातनामा पेश किया गया जबाव हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये लेकिन जबाव पेश नहीं किया गया। तहसीलदार पचपदरा ने मजमें आम में जांच कर जाहिर किया गया कि ग्राम को जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाता में खातेदार के नाम ही दर्ज होगी, इसमें किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:19:25 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत________ प.स.________